

पूर्व में लागू विकल्प के अनुसार 2024-25

U/S 192 (2B)

IN LIU OF FORM No. 12-C

STATEMENT OF INCOME TAX FOR THE PURPOSE OF TDS

नोट- यह प्रपत्र सम्पूर्ण नहीं अपूर्ण है, अधिक व पूर्ण जानकारी हेतु अपने अधिवक्ता, सी0ए0 या आयकर विभाग से संपर्क करें  
31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए

वित्त वर्ष 2024-25

मूल्यांकन वर्ष 2025-26

कर्मचारी का नाम	:							
पद	:							PATWARI
कार्यालय का पता	:							
निवासी पता	:							
आयकर हेतु पैन नंबर/परमानेंट खाता नंबर	:							
वर्ग (अ0ज0/अ0ज0जा0/पि0व0/सामान्य)								
<b>1 आय</b>								
a) वेतन	(Pay+DA+ADA+CCA+HRA+IR)							
b) बकाया वेतन								
c) अवकाश का नगदीकरण								
d) अन्य परिलब्धियां								
								योग (a+b+c+d)
								0
	छूट: मानक कटौती							- 50000
							(1)	-50000
<b>2</b>	मकान किराया भत्ता छूट (मकान किराया रसीद की फोटोकॉपी लगाये)							
	(a) मकान किराया भत्ता							
	(b) वेतन + महंगाई भत्ते के 10% से अधिक दिया गया किराया							
	(c) वेतन + महंगाई भत्ते के 40%							
								उपरोक्त में जो कम हो उसे घटाएं
							(2)	0
<b>3</b>	कर योग्य सकल वेतन						(3)	-50000
<b>4</b>	वृत्तिकर कटौती					2500	(4)	
<b>5</b>	कर योग्य वेतन						(3)-(4)	-50000
<b>6</b>	गृह संपत्ति से कर योग्य आय						(6)	0
<b>7</b>	पूजीगत लाभ	(a) अल्पकालिक						
		(b) दीर्घकालिक						
								योग
							(7)	0
<b>8</b>	अन्य स्रोतों से आय							
	a) परीक्षा पारिश्रमिक							
	b) पुराने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पर ब्याज							
	c) अन्य ब्याज रसीद							
	d) म्यूचुअल फंड पर लाभांश							
								योग
<b>9</b>	कर योग्य कुल आय						(5)+(6)+(7)+(8)	-50000
<b>10</b>	अनुभाग 24(b) के अंतर्गत कटौतियां <स्वयं के रहवास हेतु>							
	यदि 31/03/1999 के पूर्व ऋण लिया हो तो जिस वर्ष में ऋण लिया है उसके 5 वित्त वर्ष के अन्दर गृह निर्माण/कब्जा कर लेने पर ब्याज की अधिकतम छूट रु 30,000/-							
	यदि 31/03/1999 के पश्चात् ऋण लिया हो तो जिस वर्ष में ऋण लिया है उसके 5 वित्त वर्ष के अन्दर गृह निर्माण/कब्जा कर लेने पर ब्याज की अधिकतम छूट रु 2,00,000/-							
<b>11</b>	अध्याय VI के अंतर्गत कटौतियां							
	<b>अनुभाग 80 C के अंतर्गत</b>							
	a) सामान्य भविष्य निधि/डी0पी0एफ0/पेंशन अंशदान							NPS
	b) समूह बीमा योजना/ पारिवारिक लाभ निधि प्रीमियम							
	c) स्वीकृत सुपर एन्युएशन फंड में अंशदान							
	d) जीवन बीमा निगम प्रीमियम							
	e) किन्हीं 2 बच्चों के विद्यालय/महाविद्यालय की ट्यूशन फीस							
	f) नई राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र खरीदी हो							
	g) सामान्य भविष्य निधि/पी0पी0एफ0							
	h) सुकन्या समृद्धि योजना							
	i) अनुसूचित म्यूचुअल फंड द्वारा स्थापित पेंशन फंड में जमा							
	j) पुराने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के ब्याज का पुनः निवेश							
	k) मूलधन का दोबारा भुगतान							
	l) इकाई लिंक बीमा योजना/धन रक्षा/जीवन धारा/जीवन अक्षय							
	m) विनिदिष्ट म्यूचुअल फंड							
	o) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा जारी बांडों की सदस्यता							
	p) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004							
	q) अन्य							
	अनुभाग 80CCC के अंतर्गत- किसी बीमा निगम की पेंशन निधि पॉलिसी में जमा राशि							
	अनुभाग 80CCD के अंतर्गत- राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान के संबंध में कटौती							
								योग (कुल 11)
								0
<b>12</b>	अनुभाग 80CCD के अंतर्गत- 11 का योग अथवा रु 150,000/- जो कम हो लिखें							0
<b>13</b>	अनुभाग 24(b) एवं 80CCE के अंतर्गत छूट (10 और 12 का योग)							0

<b>14</b>	अनुभाग 80CCD(1b) नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में छूट अंशदान अधिकतम 50,000/-				
	U/S 80 D	चिकित्सा बीमा प्रीमियम 25,000/- तक एवं वरिष्ठ नागरिक 50,000/-			
	U/S 80 DD	आश्रिम विकलांग पर चिकित्सा व्यय निवेश इत्यादि 75,000/-			
	U/S 80 DDB	पुरानी/दीर्घकालिक/विशिष्ट बीमारी पर व्यय 40,000/- तक			
	U/S 80 E	स्वयं, पति या पत्नी, बच्चों की उच्च शिक्षा (पूर्णकालिक) के लिए			
	U/S 80 EEA	नये मकान 01/04/2019 के बाद की खरीदी पर लिये ऋण के ब्याज पर छूट 1.50 तक			
	U/S 80 G	आयकर विभाग द्वारा अनुमोदित संस्थाओं को दान			
	U/S 80 GG	Employee who is not receipt of HRA & Pays Rent for accomodation			
	U/S 80 U	पूर्ण दृष्टिहीन/स्थाई शारीरिक/मानसिक विकलांग निर्धारितों को छूट 75,000/-			
	U/S 80 TTA	सेविंग बैंक की ब्याज पर रु 10,000/-			
	U/S 80 TTB	वरिष्ठ नागरिकों को सेविंग FRD/RD पर ब्याज 50,000 तक छूट			
	अन्य कटौती				
				योग (कुल 14)	0
<b>15</b>	कटौतियों का योग			(13 + 14)	0
<b>16</b>	शुद्ध कर योग्य आय			(9-15)	-50000
<b>17</b>	शुद्ध कर योग्य आय की राशि निकटम 10-/- तक पूर्णांकित				-50000
<b>18</b>	शुद्ध कृषि आय: कर दर के लिए (परिभाषित प्रावधानों के अधीन)				
<b>19</b>	कर गणना हेतु आय का योग			योग (17 + 18)	-50000
<b>20</b>	आय की गणना 'पुरुष या महिला दर एक समान है'				
	0 से 300000 तक	कुछ नहीं			
	300001 से 7 लाख तक	5%	-17500		0
	700001 से 10 लाख तक	10%	-75000		0
	1000001 से 12 लाख तक	15%	-157500		0
	1200001 से 15 लाख तक	20%	-250000		0
	1500001 से अधिक	30%	0		0
			योग (20)		0
<b>21</b>	घटाएं: अनुभाग 87A के अंतर्गत आयकर राशि या रु 12500/- जो भी कम हो			-12500	0
	(सिर्फ रु 5 लाख तक की कर योग्य आय होने पर)				
<b>22</b>	देयकर				0
<b>23</b>	शिक्षा उपकर			(22 का 4%)	0
<b>24</b>	उच्च शिक्षा उपकर			(22 का 1%)	0
<b>24</b>	योग (23+24) कुल आयकर				0
<b>25</b>	अनुभाग 89 के अंतर्गत राहत (बकाया राशि के कर का अंतर)				
<b>26</b>	शुद्ध देयकर (24+25)			(24 + 25)	0
<b>27</b>	अब तक काटा गया कर				0
<b>28</b>	आगामी माह से शेष कर कटौती				
	1) दिसम्बर 2024				0
	2) जनवरी 2025				0
	3) फरवरी 2025				0
	4) मार्च 2025				0
	कुल कटौती				0
	शेष				0
	सत्यापन				
	मैं, एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य एवम पूर्ण है एवं मैं आय कर विवरणी भरने एवं कर चुकाने हेतु पूर्व में लागू विकल्प का चयन स्वेच्छा से करता हूँ				
	स्थान	पूरा नाम:			
	दिनांक	पद:			